भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4080
गुरूवार, 7 अप्रैल, 2022/17 चैत्र, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

4080. डा. अमी याज्ञिकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नए रोजगार के अवसरों का सृजन के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस पहल के अंतर्गत सृजित किए गए नए रोजगार अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पहल के अंतर्गत सरकार द्वारा नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की सहायता करने के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है। यह योजना प्रतिष्ठानों के वित्तीय भार को कम कर और उन्हें अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयोजन रखती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है।

30.03.2022 को इस योजना के तहत कुल 54.75 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। इसमें 48.76 लाख नए-नियोजित और 5.98 लाख वे कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने महामारी के दौरान अपना रोजगार गंवा दिया था और ईपीएफ सदस्यों के रूप में फिर से कार्य पर लग गए हैं। नियोक्ताओं और लाभान्वित कर्मचारियों तथा संवितरित लाभों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के अंग के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों सहित रोजगार/उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऋण प्रदान कर रही है, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी-पटरी लगाने के लिए उनको फिर से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने हेतु प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), जिसके तहत सूक्ष्म/लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों आदि को स्थापित करने या विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक का गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

******

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 07.04.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4080 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	एबीआरवाई लाभार्थियों की संख्या (राज्य-वार) (30.03.2022 तक)			
	राज्य का नाम	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	कुल लाभ (रु. में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	35	466	6561388
2	आंध्र प्रदेश	3635	147693	1310603055
3	अरुणाचल प्रदेश	13	130	902920
4	असम	553	16919	126879366
5	बिहार	1075	23706	272710047
6	चंडीगढ़	1477	59365	480903570
7	छत्तीसगढ़	2674	75257	679976294
8	दिल्ली	2886	209458	1510169140
9	गोवा	502	19148	150283501
10	गुजरात	14453	597491	4530999135
11	हरियाणा	7021	363310	2814227072
12	हिमाचल प्रदेश	1976	77169	618279977
13	जम्मू और कश्मीर	815	17426	184281272
14	झारखंड	2021	55724	541775539
15	कर्नाटक	9741	436700	3781401947
16	केरल	2399	84821	793533665
17	लद्दाख	12	168	1390505
18	मध्य प्रदेश	5691	185224	1714751390
19	महाराष्ट्र	20490	894574	6780790249
20	मणिपुर	42	921	8632725
21	मेघालय	36	1131	23003260
22	मिजोरम	15	369	6805254
23	नागालैंड	14	220	1341712
24	ओडिशा	3796	79610	780558045
25	पंजाब	6035	155989	1521095313
26	राजस्थान	10444	298166	2398100886
27	सिक्किम	108	3522	38633526
28	तमिलनाडु	15099	737204	5080462727
29	तेलंगाना	4923	259164	1777157012
30	त्रिपुरा	149	5323	50105519
31	उत्तर प्रदेश	11415	389110	3628216166
32	उत्तराखंड	2223	84651	716626900
33	पश्चिम बंगाल	6946	195180	1539340152
	सकल योग	**138714**	**5475309**	**43870499229**